

राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

नगरीय पथ विक्रेताओं की जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय तथा इससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका प्रसार राजस्थान राज्य में के समस्त नगरपालिक क्षेत्रों में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(4) इस अधिनियम के उपबंध, रेलवे के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन भूमि, परिसरों और रेलों पर लागू नहीं होंगे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "मुख्य नगरपालिक अधिकारी" से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के खण्ड (xiii) में यथा परिभाषित मुख्य नगरपालिक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) 'धारण क्षमता' से ऐसे पथ विक्रेताओं की, जो किसी विक्रय परिक्षेत्र में समायोजित किए जा सकते हों, अधिकतम संख्या अभिप्रेत है;

- (ग) "नगरपालिका" से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अधीन गठित कोई नगरपालिका अभिप्रेत है;
- (घ) "नगरपालिक क्षेत्र" से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के खण्ड (xxxix) में यथा परिभाषित नगरपालिक क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ङ) "योजना प्राधिकारी" से, किसी नगर या कस्बे में मास्टर योजना या विकास योजना या परिक्षेत्र योजना या अभिन्यास योजना या किसी अन्य स्थान संबंधी योजना, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रवर्तनीय हो, में किसी विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए क्षेत्रों के प्रमित विस्तार को परिभाषित करके भूमि उपयोग को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी कोई नगरीय विकास प्राधिकरण या कोई भी अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (छ) "स्कीम" से राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन विरचित कोई स्कीम अभिप्रेत है;
- (ज) "विनिर्दिष्ट" से स्कीम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;
- (झ) "राज्य सरकार" से राजस्थान की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (ञ) "राज्य नोडल अधिकारी" से राज्य में नगरीय पथ विक्रय से संबंधित समस्त विषयों का समन्वय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ट) "पथ विक्रेता" से वस्तुओं, माल, सामग्री, खाद्य-वस्तुओं के विक्रय में या प्रतिदिन उपयोग की वस्तुओं के वाणिज्य में लगा हुआ या साधारण जनता को किसी पथ लेन, पटरी, फुटपाथ, रास्ते का फर्श, सार्वजनिक पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या प्राइवेट क्षेत्र या अस्थायी रूप से विनिर्मित संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर

घूमते हुए सेवा देने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें फेरीवाला, खोमचावाला, आबादकार और अन्य समस्त समानार्थी पद भी जो स्थानीय या क्षेत्रीय रूप से विनिर्दिष्ट किये जायें, सम्मिलित हैं; और "पथ विक्रय" शब्द के व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा:

- (ठ) "नगर विक्रय समिति" से राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के अधीन गठित निकाय अभिप्रेत है;
- (ड) "विक्रय परिक्षेत्र" से किसी विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए योजना प्राधिकारी द्वारा, पथ विक्रय के लिए पथ विक्रेताओं द्वारा विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए इस रूप में अभिहित किया गया कोई क्षेत्र या स्थान या कोई अवस्थान अभिप्रेत है और जिसमें फुटपाथ, पटरी, रास्ते का फर्श, तटबंधन, किसी पथ के भाग, जनता के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र या ऐसा कोई स्थान, जो विक्रय क्रियाकलापों के लिए तथा साधारण जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त समझा जाये, सम्मिलित हैं;

## अध्याय 2

### पथ विक्रय के लिए स्कीम

**3. पथ विक्रेताओं के लिए स्कीम.-** (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा एक स्कीम जिसमें निम्नलिखित सभी या इनमें से किन्हीं विषयों को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, विरचित करेगी, अर्थात्:-

- (क) पथ विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान, नवीकरण, निलंबन या रद्दकरण का तथा उन्हें पहचान पत्र जारी करने का प्ररूप और रीति;
- (ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान और नवीकरण के लिए फीस के उद्ग्रहण और संग्रहण की रीति और रजिस्ट्रीकरण

के निबंधनों और शर्तों के तथा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माने;

- (ग) पथ विक्रेताओं के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में नगरपालिका को अपीलें फाइल करने के प्ररूप और रीति तथा उसके द्वारा अपीलों के निपटान के लिए प्रक्रिया;
- (घ) रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं को स्टालों के आबंटन की रीति और उसके निबंधन तथा शर्तें;
- (ङ) किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने, नवीकृत करने, निलंबित करने या रद्द करने का प्ररूप और रीति;
- (च) किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान और नवीकृत करने के लिए फीस के उद्ग्रहण और संग्रहण की रीति तथा अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन के लिए जुर्माने;
- (छ) मास्टर योजना, विकास योजना, परिक्षेत्र योजना, अभिन्यास योजना या किन्हीं अन्य स्थान-संबंधी योजनाओं में पथ विक्रेताओं के लिए विक्रय परिक्षेत्र निश्चित करने के लिए योजना प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत की जाने वाली स्थान-संबंधी योजना के मानक;
- (ज) निर्बंधन-मुक्त-विक्रय परिक्षेत्रों, निर्बंधित-विक्रय परिक्षेत्रों और विक्रय-परिषेध परिक्षेत्रों के रूप में विक्रय परिक्षेत्रों के अवधारण के लिए सिद्धान्त;
- (झ) शर्तें, जिनके अधीन प्राइवेट स्थानों को, निर्बंधन-मुक्त-विक्रय परिक्षेत्रों, निर्बंधित-विक्रय परिक्षेत्रों और विक्रय-परिषेध परिक्षेत्रों के रूप में अभिहित किया जाये;
- (ञ) विक्रय परिक्षेत्रों की धारण क्षमता के अवधारण के लिए सिद्धान्त और विक्रय परिक्षेत्रों की धारण क्षमता के भीतर, पथ विक्रेताओं को समायोजित करने के प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों की सहायता से पथ विक्रेताओं की विद्यमान संख्या की व्यापक डिजीटलाइज्ड फोटो जनगणना और सर्वेक्षण हाथ में लेने की रीति;

- (ट) पथ विक्रय के लिए निबंधन और शर्तें जिनमें लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाये रखने के लिए पालन किये जाने वाले मानक सम्मिलित हैं;
- (ठ) राज्य स्तर पर, पथ विक्रय से संबंधित सभी विषयों के समन्वय के लिए राज्य नोडल अधिकारी का पदाभिधान;
- (ड) पथ विक्रेताओं के संबंध में नगर विक्रय समिति, नगरपालिका, योजना प्राधिकारी और राज्य नोडल अधिकारी द्वारा समुचित अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों के संधारण की रीति;
- (ढ) पथ विक्रेताओं को नोटिस देने और उनकी बेदखली की रीति; स्टालों, माल और उपस्करों को परिबद्ध करना, उनका नाशन या अभिग्रहण करना और बेदखल पथ विक्रेताओं को पुनः अवस्थित करना और उन्हें प्रतिकर का संदाय करना;
- (ण) कोई अन्य विशिष्टियां जो राज्य सरकार द्वारा स्कीम में सम्मिलित किये जाने के लिए समुचित समझी जायें।
- (2) राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित स्कीम का सारांश नगरपालिका द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, प्रकाशित किया जायेगा।

### अध्याय 3

#### नगर विक्रय समिति

4. नगर विक्रय समिति.- (1) राज्य सरकार, प्रत्येक नगरपालिका में एक नगर विक्रय समिति का गठन करेगी।

- (2) प्रत्येक नगर विक्रय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-
- (क) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, जो अध्यक्ष होगा; और
- (ख) राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका, योजना प्राधिकारी, यातायात पुलिस, स्थानीय पुलिस, पथ विक्रेताओं का संगम, बाजार संगमों, व्यापारियों के संगमों, निवासी कल्याण संगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और ऐसे अन्य हितों का, जो वह उचित समझे, प्रतिनिधित्व करने के लिए

नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले अन्य सदस्यों की उतनी संख्या जितनी विहित की जाये:

परन्तु पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या, सदस्यों की कुल संख्या के चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी और ऐसे सदस्यों की एक-तिहाई संख्या, महिला विक्रेताओं में से होगी:

परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्तियों को भी, जो शारीरिक रूप से निःशक्त हैं, युक्तियुक्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

(3) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसका नामनिर्देशन पहले ही समाप्त नहीं कर दिया जाता है, उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

**5. नगर विक्रय समिति की बैठक.-** नगर विक्रय समिति, नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर ऐसे समय और स्थानों पर बैठक आयोजित करेगी और उसकी बैठकों में कारबार के संव्यवहार और उसके कृत्यों के निर्वहन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी, जो विहित किये जायें।

**6. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नगर विक्रय समिति के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन.-** (1) नगर विक्रय समिति, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी वह इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों को कार्यान्वित करने में सहायता या सलाह की वांछा करे, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किये जायें, स्वयं के साथ सहयोजित कर सकेगी।

(2) किसी भी प्रयोजन के लिए उप-धारा (1) के अधीन इस प्रकार सहयोजित किसी व्यक्ति को, उस प्रयोजन से सुसंगत चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु समिति की किसी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।

**7. नगर विक्रय समिति के लिए कार्यालय-स्थान और अन्य कर्मचारी.-** राज्य सरकार, नगर विक्रय समिति को समुचित कार्यालय-स्थान और ऐसे अन्य कर्मचारी, जो विहित किये जायें, उपलब्ध करायेगी।

**8. वार्ड विक्रय समितियों का गठन.-** नगर विक्रय समिति, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, उतनी संख्या में, जो विहित की जाये, वार्ड विक्रय समितियां गठित कर सकेगी।

**9. नगर विक्रय समिति के कृत्य.-** राज्य सरकार नगर विक्रय समिति को निम्नलिखित कृत्य समनुदेशित कर सकेगी, अर्थात्:-

- (क) पथ विक्रेताओं को ऐसे प्ररूप और रीति से तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनिर्दिष्ट की जायें, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना, उनको नवीकृत, निलंबित या रद्द करना;
- (ख) पथ विक्रेताओं को, ऐसे प्ररूप और रीति से जो विनिर्दिष्ट की जाये, पहचान पत्र जारी करना;
- (ग) पथ विक्रेताओं के रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए ऐसी फीस, जो विनिर्दिष्ट की जाये, संग्रहीत करना;
- (घ) नगरपालिका के परामर्श से, रजिस्ट्रीकरण, चल स्टालों के लिए पार्किंग स्थान के उपयोग और नागरिक सेवाएं प्राप्त करने की फीस, और फीस को बैंकों, नगरपालिका के काउन्टरों या नगर विक्रय समिति के काउन्टरों के माध्यम से संग्रहीत करने की रीति, अवधारित करना;
- (ङ) विक्रय परिक्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें अभिहित करना;
- (च) विक्रय परिक्षेत्रों में विक्रय के लिए समय विनिर्दिष्ट करना;
- (छ) भूमि, पथ, फुटपाथ, तटबंधन, प्रतीक्षा क्षेत्र, उद्यान और विक्रय के लिए अभिहित अन्य सार्वजनिक स्थानों के अभिलेख ऐसी रीति से, जो विनिर्दिष्ट की जाये, रखना;
- (ज) विक्रय परिक्षेत्रों के कालिक सर्वेक्षण करना;
- (झ) पथ विक्रेताओं से संबंधित आंकड़े संग्रहीत करना और रखना;

- (ज) विक्रय परिक्षेत्रों में स्थायी और चल स्टालों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए मात्रात्मक मानक अवधारित करना;
- (ट) प्रत्येक विक्रय परिक्षेत्र की अधिकतम धारण क्षमता को निर्धारित और अवधारित करना;
- (ठ) निर्बन्धन-मुक्त-विक्रय परिक्षेत्रों, निर्बधित-विक्रय परिक्षेत्रों और विक्रय-परिषेध परिक्षेत्रों के रूप में विक्रय परिक्षेत्रों की पहचान विनिर्दिष्ट रीति से करना और घोषणा करना;
- (ड) विक्रय परिक्षेत्र के प्रकार, उसकी सीमाओं और विक्रय समयों को उपदर्शित करने के लिए प्रत्येक विक्रय परिक्षेत्र में साइन बोर्ड लगाना;
- (ढ) साप्ताहिक हाटों, रात्रि बाजारों और त्यौहार बाजारों के लिए विक्रेता-बाजारों के स्थान और समयों की घोषणा करना;
- (ण) विक्रय परिक्षेत्रों में उपलब्ध कराये गये जल, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबन्ध, विद्युत सहित नागरिक सुख-सुविधाओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- (त) पथ विक्रेताओं के क्रियाकलापों को मानीटर करना;
- (थ) यह सुनिश्चित करना कि जनता को उपलब्ध कराये गये उत्पादों की और सेवाओं की गुणवत्ता और लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के नगरपालिका द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मानक बनाये रखे जाते हैं;
- (द) यह सुनिश्चित करना कि आबंटित स्टालों का उपयोग आबंटियों द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया जाता है;
- (ध) रजिस्ट्रीकरण के जारी करने, उसके नवीकृत करने, निलंबित करने या रद्द करने के लिए निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करना;
- (न) रजिस्ट्रीकरण के लिए निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माने के अधिरोपण सहित कार्रवाइयों को अवधारित करना;
- (प) संस्थागत तंत्रों के माध्यम से ऋण के संबंध में जानकारी की अभिवृद्धि करना;



- (फ) पथ विक्रेताओं के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए मानक अवधारित करना;
- (ब) मृत्यु, बीमारी या निःशक्तता की दशा में, पथ विक्रेताओं को बीमा, प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीमों की प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निबंधनों और शर्तों को अवधारित करना;
- (भ) पथ विक्रेताओं के संगमों और स्वयं सहायता समूहों को संचालित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना;
- (म) पथ विक्रेताओं के लिए उद्यमिता और तकनीकी तथा कारबार दक्षताओं के संबंध में जानकारी देने की दृष्टि से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना; और
- (य) पथ विक्रेताओं के बीच की शिकायतों को दूर करना और विवादों का समाधान करना;

**10. वार्षिक लेखा विवरण का प्रकाशन.-** नगर विक्रय समिति अपने वार्षिक लेखा विवरण ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाये, तैयार और प्रकाशित करेगी।

#### अध्याय 4

##### पथ विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण

**11. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.-** (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और पथ विक्रय का कार्य करने का आशय रखता है, पथ विक्रेता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए नगर विक्रय समिति को आवेदन करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसी फीस के साथ, जो विनिर्दिष्ट की जाये, किया जायेगा।

**12. पथ विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण.-** (1) धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन किये गये आवेदन की नगर विक्रय समिति द्वारा परीक्षा की जायेगी और ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी रीति से, जो विनिर्दिष्ट की जाये, रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा:

परन्तु विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने पर, यदि आवेदक को, आवेदन के नामंजूर होने या उसमें कमियों के बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आवेदक को रजिस्ट्रीकृत किया हुआ समझा जायेगा।

(2) नगर विक्रय समिति, आवेदक को, कमियों का, यदि कोई हो, सुधार करने का और उसको सुने जाने का अवसर दिये बिना, आवेदन संक्षिप्ततः नामंजूर नहीं करेगी।

(3) यदि नगर विक्रय समिति या, यथास्थिति, नगर विक्रय समिति द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों या स्कीमों के उपबंधों के अनुपालन में है तो वह पथ विक्रेता का नाम रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन नगर विक्रय समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर और ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाये, नगरपालिका को अपील कर सकेगा।

**13. रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं को स्टालों के आबंटन में अधिमान.-** (1) नगरपालिका, विक्रय परिक्षेत्रों में स्टालों के आबंटन में, रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं को अधिमान दे सकेगी।

(2) पथ विक्रेताओं को स्टालों का आबंटन, ऐसी रीति से, और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, जो विनिर्दिष्ट की जायें, किया जायेगा।

**14. अनुज्ञप्ति की मंजूरी.-** ऐसे रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेता को, जिसको विक्रय परिक्षेत्र में स्टाल आबंटित किया गया है, नगरपालिका द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी फीस के संदाय पर, और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन, जो नगरपालिका द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, अनुज्ञप्ति मंजूर और समय-समय पर नवीकृत की जायेगी।

## अध्याय 5

### नगरपालिका के कर्तव्य

**15. नगरपालिका के कर्तव्य.-** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी:-

(क) पथ विक्रेताओं के लिए स्कीम का पूर्णरूपेण अधीक्षण और मानीटरी;

- (ख) नगर विक्रय समिति के प्रभावी कृत्यकरण की मानीटरी;
- (ग) पथ विक्रेताओं के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में अपीलों का विनिर्दिष्ट रीति में विनिश्चय;
- (घ) पथ विक्रेताओं को स्टालों का विनिर्दिष्ट रीति से आबंटन;
- (ङ) रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं को विनिर्दिष्ट रीति से अनुज्ञप्ति की मंजूरी, उसका नवीकरण, निलंबन या रद्दकरण;
- (च) विक्रय परिक्षेत्रों में और पथ विक्रेताओं को, नगर विक्रय समिति के परामर्श से, निम्नलिखित सहित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना:-
- (i) ठोस अपशिष्ट व्ययन;
  - (ii) स्वच्छता बनाये रखने के लिए सार्वजनिक शौचालय;
  - (iii) विद्युत;
  - (iv) पेयजल;
  - (v) पथ विक्रेताओं और उनकी सामग्री के संरक्षण के लिए आश्रय;
  - (vi) भंडारण सुविधा, सौंदर्यकरण, साइनबोर्डों का लगाया जाना; और
  - (vii) अन्य सुविधाएं, जो पथ विक्रेताओं के लिए आवश्यक हों और स्कीम में विनिर्दिष्ट हों;
- (छ) नगर विक्रय समिति के परामर्श से, रजिस्ट्रीकरण, चल स्टालों के लिए पार्किंग स्थान का उपयोग और नागरिक सेवाएं प्राप्त करने की फीस को बैंकों, नगरपालिका के काउन्टरों या नगर विक्रय समिति के काउन्टरों के माध्यम से संगृहीत करने की रीति अवधारित करना;
- (ज) नगर विक्रय समिति के परामर्श से, विक्रय परिक्षेत्रों की धारण क्षमता के भीतर पथ विक्रेताओं को समायोजित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे विशेषज्ञों की सहायता से और ऐसी रीति से, जो विनिर्दिष्ट की जाये, विद्यमान पथ विक्रेताओं की व्यापक डिजीटलाइज्ड फोटो जनगणना और सर्वेक्षण करना;

- (झ) अपनी वेबसाइट पर पथ विक्रेताओं के संपूर्ण डाटा बेस को अधिसूचित करना और नियमित अन्तरालों पर उन्हें अद्यतन करना।

## अध्याय 6

### योजना प्राधिकारी के कर्तव्य

**16. योजना प्राधिकारी के कर्तव्य.-** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, योजना प्राधिकारी, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:-

- (क) पथ विक्रेताओं के लिए स्थान-संबंधी मानकों का अवधारण करना;
- (ख) मास्टर योजना, विकास योजना, परिक्षेत्र योजना, अभिन्यास योजना और अन्य किसी योजना में विक्रय परिक्षेत्रों के लिए स्थान निश्चित करना;
- (ग) योजना मानकों के संबंध में नगर विक्रय समिति के कृत्यों को मानीटर करना;
- (घ) अभिहित विक्रय परिक्षेत्रों में पथ विक्रेताओं के समायोजन के लिए शहर या नगर मास्टर योजना, विकास योजना, परिक्षेत्र योजना, अभिन्यास योजना और किसी अन्य योजना का संशोधन करना;
- (ङ) नगर या शहर की अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करते हुए विक्रय परिक्षेत्रों का सीमांकन करना;
- (च) ऐसे मानक अंगीकृत करके, जो विनिर्दिष्ट किये जायें, उस शहर या नगर में पथ विक्रेताओं की विद्यमान संख्या के लिए और भावी विकास के लिए भी, अनुकूल और पर्याप्त स्थान-संबंधी योजनाओं को तैयार करना; और
- (छ) ऐसे किसी भी अन्य कर्तव्य या कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर समनुदेशित किये जायें।

## अध्याय 7

### शर्तों का भंग और शास्ति

**17. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन.-** जहां कोई पथ विक्रेता, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, या उसका एजेंट या सेवक, उसकी शर्तों में से किसी शर्त को या इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या स्कीमों के अधीन पथ विक्रय को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं भी अन्य निबंधनों और शर्तों को भंग करता है, या जहां नगर विक्रय समिति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा रजिस्ट्रीकरण, पथ विक्रेता द्वारा दुर्यपदेशन या कपट के माध्यम से प्राप्त किया गया है, वहां नगर विक्रय समिति, किसी अन्य जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अधीन पथ विक्रेता द्वारा उपगत किया गया है, रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगी या ऐसी कालावधि के लिए, जो वह ठीक समझे, निलंबित कर सकेगी:

परन्तु नगर विक्रय समिति द्वारा ऐसा कोई रद्दकरण या निलंबन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि पथ विक्रेता को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

**18. स्टाल, अनुज्ञप्ति आदि के आबंटन का रद्दकरण या निलंबन.-** जहां कोई पथ विक्रेता, जिसको इस अधिनियम के अधीन स्टाल आबंटित की गयी है या अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है या ऐसे विक्रेता का कोई एजेंट या सेवक उसकी शर्तों में से किसी शर्त को या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या स्कीमों के अधीन पथ विक्रय को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य निबंधनों और शर्तों को भंग करता है या जहां नगरपालिका का यह समाधान हो जाता है कि स्टाल का ऐसा आबंटन या, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति पथ विक्रेता द्वारा दुर्यपदेशन या कपट के माध्यम से प्राप्त की गयी है, वहां नगरपालिका किसी अन्य जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अधीन पथ विक्रेता द्वारा उपगत किया गया है, ऐसी स्टाल या, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति के आबंटन को रद्द

कर सकेगी या ऐसी कालावधि के लिए, जो वह ठीक समझे, निलंबित कर सकेगी:

परन्तु नगरपालिका द्वारा ऐसा रद्दकरण या निलंबन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि पथ विक्रेता को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

**19. उल्लंघन के लिए शास्ति.-** यदि कोई पथ विक्रेता,-

- (क) रजिस्ट्रीकरण के बिना पथ विक्रय में लगा हुआ है; या
- (ख) अभिहित विक्रय परिक्षेत्रों या विनिर्दिष्ट समय के परे विक्रय करता है; या
- (ग) ऐसे माल का विक्रय करता है या सेवाएं देने का प्रस्ताव करता है जो लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; या
- (घ) रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है; या
- (ङ) स्टाल के आबंटन या अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है; या
- (च) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या स्कीमों के अधीन पथ विक्रय को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अन्य निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है,

तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी, जैसीकि नगर विक्रय समिति या, यथास्थिति, नगरपालिका द्वारा अवधारित की जाये।

## अध्याय 8

### प्रकीर्ण

**20. विवरणियां.-** प्रत्येक नगर विक्रय समिति, समय-समय पर, राज्य सरकार और नगरपालिका को ऐसी विवरणियां देगी, जो विहित की जायें।

**21. प्रोन्नयन अध्युपाय.-** राज्य सरकार, नगर विक्रय समिति, नगरपालिका, योजना प्राधिकारी और पथ विक्रेताओं के संगमों या संघों के परामर्श से, पथ विक्रेताओं के लिए ऋण, बीमा और अन्य सामाजिक

सुरक्षा की कल्याणकारी स्कीमें उपलब्ध कराने के प्रोन्नयन अध्युपाय हाथ में ले सकेगी।

**22. अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता.-** राज्य सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक,-

- (क) पथ विक्रेताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का और इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का किस प्रकार प्रयोग करें, ऐसे कार्यक्रमों का विकास और संचालन कर सकेगी; और
- (ख) सामान्यतया अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक सेक्टर की और विशिष्टतया पथ विक्रेताओं की भूमिका और समझ के अभिवर्धन के लिए और जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए नगर विक्रय समितियों के माध्यम से अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को हाथ में ले सकेगी।

**23. उप-विधियां बनाने की शक्ति.-** इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या स्कीमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए नगरपालिका, निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करने के लिए उप-विधियां बना सकेगी, अर्थात्:-

- (क) निर्बन्धन-मुक्त-विक्रय परिक्षेत्रों, निर्बन्धित-विक्रय परिक्षेत्रों और अभिहित विक्रय परिक्षेत्रों में विक्रय का विनियमन और रीति;
- (ख) विक्रय परिक्षेत्रों में करों और फीस के संग्रहण का विनियमन;
- (ग) विक्रय परिक्षेत्रों में यातायात का विनियमन;
- (घ) उत्पादों की गुणवत्ता और विक्रय परिक्षेत्रों में जनता को उपलब्ध करायी गयी सेवाओं का विनियमन और लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को बनाये रखना;
- (ङ) विक्रय परिक्षेत्रों में नागरिक सेवाओं का विनियमन; और
- (च) विक्रय परिक्षेत्रों में ऐसे अन्य विषयों का विनियमन, जो आवश्यक हों।

**24. नियम बनाने की शक्ति.-** (1) राज्य सरकार, नगर विक्रय समिति से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों द्वारा निम्नलिखित सभी या इनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात्:-

- (क) धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन स्कीम के सारांश को प्रकाशित करने की रीति;
- (ख) धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन सदस्यों की संख्या;
- (ग) धारा 5 के अधीन बैठक का समय और स्थान, बैठकों में कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया और निर्वहन किये जाने वाले कृत्य;
- (घ) रीति और प्रयोजन, जिसके लिए कोई व्यक्ति धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सहयोजित हो सकेगा;
- (ङ) धारा 7 के अधीन नगर विक्रय समिति के अन्य कर्मचारी;
- (च) धारा 8 के अधीन वार्ड विक्रय समितियों के गठन की रीति और प्रयोजन तथा उनकी संख्या;
- (छ) धारा 10 के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने और प्रकाशित करने का प्ररूप और रीति; और
- (ज) धारा 20 के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणियां।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, स्कीम और उप-विधि उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखी जायेगी और यदि, उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखी गयी है या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किसी भी नियम या स्कीम या उप-विधि में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम या स्कीम या उप-विधि नहीं बनायी जानी चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम या स्कीम या उप-विधि केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी या,



यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उस नियम या स्कीम या उप-विधि के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

---

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

पथ-विक्रय भारत में अनंत काल से एक वृत्ति के रूप में अस्तित्व में रहा है। तथापि, हाल के वर्षों में इनकी संख्या अत्यधिक बढ़ी है। पथ विक्रेता अपनी जीविका के अर्जन का प्रयास करते हुए नगरीय जनसंख्या को मूल्यवान सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह जनसंख्या के इस भाग के जीविका अर्जित करने के अधिकार का संरक्षण करे। भारत सरकार ने नगरीय पथ विक्रेताओं की जीविका के संरक्षण के लिए और नगरीय पथ विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय नीति के एक भाग के रूप में पथ विक्रय को विनियमित करने हेतु एक माडल प्रारूप तैयार और प्रसारित किया है। राज्य सरकार ने पूर्वोक्त माडल प्रारूप पर विचार किया है और उसका यह विचार है कि नगरीय पथ विक्रेताओं के कल्याण के लिए और पथ विक्रय की वृत्ति को विधिक प्रास्थिति प्रदान करने के लिए इस प्रकार की विधि अधिनियमित की जानी आवश्यक है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

शांति धारीवाल,  
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम  
राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प.02 (37)विधि/2/2011 जयपुर, दिनांक 18  
अगस्त, 2011 प्रेषक: शान्ति धारीवाल, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: सचिव,  
राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

मैं, शिवराज वि. पाटील, राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 की विषय-वस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन सिफारिश करता हूँ कि उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिया जाये।

**वित्तीय जापन**

राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2011 का खण्ड 7 उपबंध करता है कि राज्य सरकार, नगर विक्रय समिति के लिए समुचित कार्यालय-स्थान और ऐसे अन्य कर्मचारी उपलब्ध करायेगी, जैसाकि विहित किया जाये।

ऐसे व्ययों के लिए प्राक्कलन की संगणना नहीं की जानी है। इस मद्धे व्यय बजट, प्राक्कलनों की तैयारी के दौरान संगणित और प्रस्तुत किया जायेगा।

शांति धारीवाल,  
प्रभारी मंत्री।

**प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन**

विधेयक के खण्ड 3 का उप-खण्ड (1), यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को, इस उप-खण्ड में प्रगणित विषयों के संबंध में स्कीम विरचित करने के लिए सशक्त करेगा, विधेयक का खण्ड 23, यदि अधिनियमित किया जाता है तो नगरपालिकाओं को, इस खण्ड में प्रगणित विषयों के संबंध में उप-विधियां बनाने के लिए सशक्त करेगा और विधेयक का खण्ड 24, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को, इस खण्ड के उप-खण्ड (2) में प्रगणित विषयों के संबंध में, और सामान्यतया इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

शांति धारीवाल,  
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

**Bill No. 27 of 2011**

**THE RAJASTHAN URBAN STREET VENDORS  
(PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF  
STREET VENDING) BILL, 2011**

**(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

*A*

*Bill*

*to provide for protection of livelihood of urban street vendors and to regulate street vending and for matters connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I**

***Preliminary***

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Urban Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2011.

(2) It shall extend to all municipal areas in the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

(4) The provisions of this Act shall not apply to the land, premises and trains owned and controlled by the railway.

**2. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Chief Municipal Officer" means the Chief Municipal Officer as defined in clause (xiii) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);
- (b) "holding capacity" means the maximum number of street vendors who can be accommodated in any vending zone;

- (c) "Municipality" means a Municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);
- (d) "municipal area" means the municipal area as defined in clause (xxxix) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);
- (e) "planning authority" means an Urban Development Authority or any other authority in any city or town responsible for regulating the land use by defining the precise extent of areas for any particular activity in the master plan or development plan or zonal plan or layout plan or any other spatial plan which is legally enforceable under any law for the time being in force;
- (f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (g) "scheme" means a scheme framed by the State Government under section 3;
- (h) "specified" means as specified by the scheme;
- (i) "State Government" means the State Government of Rajasthan;
- (j) "State Nodal Officer" means an officer designated by the State Government to co-ordinate all matters relating to urban street vending in the State;
- (k) "street vendor" means a person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of everyday use or offering services to the general public, in a street lane, side walk, footpath, pavement, public park or any other public place or private area or from a temporary built up structure or by moving from place to place and includes hawker, peddler, squatter and all other synonymous terms which may be local or region specific; and the

words "street vending", with their grammatical variations and cognate expressions, shall be construed accordingly;

- (l) "Town Vending Committee" means the body constituted by the State Government under section 4; and
- (m) "vending zone" means an area or place or a location designated as such by the planning authority for the specific use by street vendors for street vending and includes footpath, side walk, pavement, embankment, portions of a street, waiting area for public or any such place considered suitable for vending activities and providing services to the general public.

## **CHAPTER II**

### ***Scheme for Street Vending***

**3. Scheme for Street Vendors.-** (1) For the purpose of this Act, the State Government shall frame, by notification, a scheme which may specify all or any of the following matters, namely:-

- (a) the form and manner of grant, renewal, suspension or cancellation of a registration certificate for, and issue of identity card to, the street vendors;
- (b) the manner of levy and collection of fees for the grant and renewal of a registration certificate and fines for contravention of the terms and conditions of registration and other provisions of this Act;
- (c) the form and manner of filing appeals to, and procedure for disposal of appeals by, the Municipality in respect of registration of street vendors;
- (d) the manner of, and the terms and conditions of, allotment of stalls to the registered street vendors;
- (e) the form and manner of grant, renewal, suspension or cancellation of a licence;

- (f) the manner of levy and collection of fees for the grant and renewal of a licence and fines for contravention of the terms and conditions of the licence;
- (g) the norms of spatial planning to be adopted by the planning authority for earmarking vending zones for street vendors in the master plan, development plan, zonal plan, layout plan or any other spatial plans;
- (h) the principles for determination of vending zones as restriction-free-vending zones, restricted-vending zones and no-vending zones;
- (i) the conditions under which private places may be designated as restriction-free-vending zones, restricted-vending zones and no-vending zones;
- (j) the principles for determining holding capacity of vending zones and the manner of undertaking comprehensive digitalized photo census and survey of the existing number of street vendors with the assistance of experts for the purpose of accommodating street vendors within the holding capacity of the vending zones;
- (k) the terms and conditions for street vending including norms to be observed for upkeeping public health and hygiene;
- (l) the designation of State Nodal Officer for coordination of all matters relating to street vending at the State level;
- (m) the manner of maintenance of proper records and other documents by the Town Vending Committee, Municipality, planning authority and State Nodal Officer in respect of street vendors;
- (n) the manner of giving notice to, and eviction of, street vendors; impounding, destruction or seizure of stalls, goods and equipments and relocation of,



and compensation payable to evicted street vendors;  
and

- (o) any other particulars which may be considered by the State Government as proper for including in the scheme.

(2) A summary of the scheme notified by the State Government under sub-section (1) shall be published by the Municipality in at least two local news papers in such manner as may be prescribed.

### **CHAPTER III**

#### ***Town Vending Committee***

**4. Town Vending Committee.-** (1) The State Government shall, in each Municipality, constitute a Town Vending Committee.

(2) Each Town Vending Committee shall consist of –

(a) the Chief Municipal Officer, who shall be the Chairperson; and

(b) such number of other members as may be prescribed, to be nominated by the State Government, representing the Municipality, the planning authority, traffic police, local police, association of street vendors, market associations, traders associations, resident welfare associations, nationalized banks and such other interests as it deems proper:

Provided that the number of members nominated to represent the street vendors shall not be less than forty per cent of the total number of members and one-third of such members shall be from amongst women vendors:

Provided further that reasonable representation shall also be given to persons who are physically challenged.

(3) The member nominated under clause (b) of sub-section (2) shall, unless his nomination is terminated earlier by the State Government, hold office for a term of three years from the date of his nomination.

**5. Meeting of Town Vending Committee.-** The Town Vending Committee shall meet at such times and places within the jurisdiction of the Municipality and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings, and in discharge of its functions, as may be prescribed.

**6. Temporary association of persons with Town Vending Committee for particular purposes.-** (1) The Town Vending Committee may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be prescribed, any person whose assistance or advice it may desire in carrying out any of the provisions of this Act.

(2) A person so associated under sub-section (1) for any purpose shall have a right to take part in the discussions relevant to that purpose, but shall not have a right to vote at a meeting of the committee and shall not be a member for any other purpose.

**7. Office space and other employees for Town Vending Committee.-** The State Government shall provide the Town Vending Committee with appropriate office space and such other employees as may be prescribed.

**8. Constitution of Ward Vending Committees.-** The Town Vending Committee may constitute, in such manner and for such purposes, such number of Ward Vending Committees, as may be prescribed.

**9. Functions of Town Vending Committee.-** The State Government may assign, to the Town Vending Committee, the following functions, namely:-

- (a) grant, renew, suspend or cancel registration certificates to street vendors, in such form and manner, and on such terms and conditions, as may be specified;

- (b) issue to the street vendors identity cards in such form and manner as may be specified;
- (c) collect such fee for registration or renewal of registration of street vendors as may be specified;
- (d) determine the manner of collecting fees through banks, counters of Municipality or counters of Town Vending Committee, fee for registration, usage of parking space for mobile stalls and availing of civic services, in consultation with Municipality;
- (e) identify and designate vending zones;
- (f) specify timings for vending in vending zones;
- (g) maintain the records of land, street, footpath, embankment, waiting area, park and other public places designated for vending in such manner as may be specified;
- (h) conduct periodic surveys of vending zones;
- (i) collect and maintain data regarding street vendors;
- (j) determine quantitative norms for different categories of stationary and mobile stalls in the vending zones;
- (k) assess and determine maximum holding capacity of each vending zone;
- (l) identify and declare vending zones as restriction-free-vending zones, restricted-vending zones and no-vending zones in the manner specified;
- (m) fix sign boards at each vending zone to indicate kind of vending zone, its boundaries and vending timings;
- (n) declare place and timings of vendors markets for weekly haats, night bazaars and festival bazaars;
- (o) ensure adequacy of civic amenities, including water, sanitation, and waste management, electricity, provided in the vending zones;
- (p) monitor activities of street vendors;
- (q) ensure that the quality of products and services provided to the public and public health, hygiene and

safety standards as specified by the Municipality are maintained;

- (r) ensure that allotted stalls are utilized by the allottees in accordance with the terms and conditions specified;
- (s) specify the terms and conditions for issue, renew, suspension or cancellation of registration in the manner specified;
- (t) determine actions including imposition of fine for violating the terms and conditions for registration;
- (u) promote awareness regarding credit through institutional mechanisms;
- (v) determine norms for regulating the activities of street vendors;
- (w) determine terms and conditions for providing benefits of insurance, maternity benefits, old age pension and other social security schemes to the street vendors in case of death, illness or disability;
- (x) lay down guidelines for organizing associations and self help groups of street vendors;
- (y) conduct training programmes for street vendors with a view to enlighten them with entrepreneurship and technical and business skills; and
- (z) redress grievances and resolve disputes amongst the street vendors.

**10. Publication of annual accounts statement.-** The Town Vending Committee shall prepare and publish its annual accounts statement in such form and manner as may be prescribed.

#### **CHAPTER IV**

##### ***Registration of Street Vendors***

**11. Application for registration.-** (1) Every person who has completed the age of eighteen years and intends to do street vending shall make an application for registration as street vendor to the Town Vending Committee.

(2) Every application under sub-section (1) shall be made in such form and manner and accompanied by such fee as may be specified.

**12. Registration of street vendors.-** (1) An application made under sub-section (1) of section 11 shall be examined by the Town Vending Committee and the registration shall be made within such period, and in such manner, as may be specified:

Provided that on completion of specified period, if no response is received by the applicant about rejection or deficiencies in the application, the applicant shall be deemed to have been registered.

(2) The Town Vending Committee shall not summarily reject the application without giving the applicant an opportunity to rectify deficiencies, if any and hearing him.

(3) If the Town Vending Committee or the officer authorized by Town Vending Committee, as the case may be, is satisfied that the application is in compliance with the provisions of this Act and the rules or schemes made thereunder, he shall register the name of the street vendor.

(4) Any person aggrieved by the decision of the Town Vending Committee under sub-section (3) may, prefer an appeal to the Municipality within such period, and in such manner, as may be specified.

**13. Preference in allotment of stalls to registered street vendors.-** (1) The Municipality may give preference to the registered street vendors in allotment of stalls in the vending zones.

(2) The allotment of stalls to the street vendors shall be made in such manner, and subject to such terms and conditions, as may be specified.

**14. Grant of licence.-** A registered street vendor to whom a stall has been allotted in a vending zone shall be granted a licence and renewed from time to time by the Municipality, in such manner, on payment of such fee, and subject to such terms and conditions, as may be specified by the Municipality.

**CHAPTER V*****Duties of Municipality***

**15. Duties of Municipality.-** Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Municipality shall be responsible for :-

- (a) overall supervision and monitoring of the scheme for street vendors;
- (b) monitoring effective functioning of the Town Vending Committee;
- (c) deciding appeals in respect of registration of street vendors in the manner specified;
- (d) allotting stalls to the street vendors in the manner specified;
- (e) granting, renewal, suspension or cancellation of licence to the registered street vendors in the manner specified;
- (f) providing, in consultation with the Town Vending Committee, in the vending zones and to the street vendors, civic services, including -
  - (i) solid waste disposal,
  - (ii) public toilets to maintain cleanliness,
  - (iii) electricity,
  - (iv) drinking water,
  - (v) shelter to protect street vendors and their wares,
  - (vi) storage facilities, beautification, placement of signage, and
  - (vii) other facilities as may be needed by the street vendors and specified in the scheme;
- (g) determining, in consultation with the Town Vending Committee, the manner of collecting, through banks, counters of Municipality or counters of Town Vending Committee, fee for registration, use of parking space for mobile stalls and availing of civic services;

- (h) undertaking, in consultation with the Town Vending Committee, comprehensive digitalized photo census and survey of the existing number of street vendors with the assistance of such experts and in such manner as may be specified, for the purpose of accommodating street vendors within the holding capacity of the vending zones; and
- (i) notifying the entire database of street vendors on its website and update the same at regular intervals.

## **CHAPTER VI**

### ***Duties of Planning Authority***

**16. Duties of planning authority.-** Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the planning authority shall be responsible for-

- (a) determining spatial planning norms for street vending;
- (b) earmarking space for vending zones in the master plan, development plan, zonal plan, layout plan and any other plan;
- (c) monitoring the functioning of the Town Vending Committee with regard to the planning norms;
- (d) amending the city or town master plan, development plan, zonal plan, layout plan and any other plan for accommodating street vendors in the designated vending zones;
- (e) demarcating vending zones specific to the requirements of the town or city;
- (f) making spatial plans conducive and adequate for the prevalent number of street vendors in that city or town and also for the future growth, by adopting such norms as may be specified; and
- (g) discharging any other duty or duties which may be assigned to it by the State Government from time to time.

**CHAPTER VII*****Breaches of Conditions and Penalty***

**17. Cancellation or suspension of registration.-** Where any street vendor who has been registered under this Act or his agent or servant commits breach of any of the conditions thereof or any other terms and conditions specified for the purpose of regulating street vending under this Act or any rules or schemes made thereunder, or where the Town Vending Committee is satisfied that such registration has been secured by the street vendor through misrepresentation or fraud, the Town Vending Committee may, without prejudice to any other fine which may have been incurred by the street vendor under this Act, cancel the registration or suspend the same for such period as it thinks fit:

Provided that no such cancellation or suspension shall be made by the Town Vending Committee unless an opportunity of hearing has been given to the street vendor.

**18. Cancellation or suspension of allotment of stall, licence etc. .-** Where any street vendor to whom a stall has been allotted or a licence has been granted under this Act or any agent or servant of such vendor commits a breach of any of the conditions thereof, or any other terms and conditions specified for the purpose of regulating street vending under this Act or any rules or schemes made thereunder, or where the Municipality is satisfied that such allotment of stall or licence, as the case may be, has been secured by the street vendor through misrepresentation or fraud, the Municipality may, without prejudice to any other fine which may have been incurred by the street vendor under this Act, cancel the allotment of stall or licence, as the case may be, or suspend the same for such period as it thinks fit:

Provided that no such cancellation or suspension shall be made by the Municipality unless an opportunity of hearing has been given to the street vendor.



**19. Penalty for contraventions.-** If any street vendor –

- (a) indulges in street vending without registration; or
- (b) vends beyond the designated vending zones or specified timings; or
- (c) vends goods or offers services that are detrimental to public health; or
- (d) contravenes the terms and conditions of registration; or
- (e) contravenes the terms and conditions of allotment of stall or licence; or
- (f) contravenes any other terms and conditions specified for the purpose of regulating street vending under this Act or any rules or schemes made thereunder,

he shall be liable to a penalty which shall not be less than rupees two hundred but which may extend to rupees five hundred, as may be determined by the Town Vending Committee, or as the case may be, by the Municipality.

**CHAPTER VIII****Miscellaneous**

**20. Returns.-** Every Town Vending Committee shall furnish, from time to time, to the State Government and the Municipality such returns as may be prescribed.

**21. Promotional measures.-** The State Government may, in consultation with the Town Vending Committee, Municipality, planning authority and street vendors associations or unions, undertake promotional measures of making available credit, insurance and other welfare schemes of social security for the street vendors.

**22. Research, training and awareness.-** The State Government may, to the extent of availability of financial and other resources,-

- (a) develop and organise capacity building programmes for street vendors and on how to exercise the rights contemplated under this Act; and

- (b) undertake research, education and training programmes to advance knowledge and understanding of the role of the informal sector in the economy, in general and the street vendors, in particular and to raise awareness among the public through Town Vending Committees.

**23. Power to make bye-laws.-** Subject to the provisions of this Act or any rules or scheme made thereunder, the Municipality may make bye-laws to provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the regulation and manner of vending in restriction-free-vending zones, restricted-vending zones and designated vending zones;
- (b) the regulation of the collection of taxes and fees in the vending zones;
- (c) regulation of traffic in the vending zones;
- (d) the regulation of the quality of products and services provided to the public in vending zones and maintenance of public health, hygiene and safety standards;
- (e) the regulation of civic services in the vending zones; and
- (f) the regulation of such other matters in the vending zones as may be necessary.

**24. Power to make rules.-** (1) The State Government may, after consultation with the Town Vending Committee, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the manner of publishing summary of scheme under sub-section (2) of section 3;

- (b) the number of members under clause (b) of sub-section (2) of section 4;
- (c) the time and place for meeting, procedure for transaction of business at meetings and functions to be discharged under section 5;
- (d) the manner and purpose for which a person may be associated under sub-section (1) of section 6;
- (e) the other employees of the Town Vending Committee under section 7;
- (f) the manner and purpose for constituting, and the number of the Ward Vending Committees under section 8;
- (g) the form and manner for preparing and publishing annual accounts statement under section 10; and
- (h) the returns to be filed under section 20.

(3) Every rule, scheme and bye-law made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is so made before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which it is so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in such rule or scheme or bye-law or resolves that the rule or scheme or bye-law should not be made, the rule or scheme or bye-law shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or scheme or bye-law.

---

## STATEMENTS OF OBJECT AND REASONS

Street vending as a profession has been in existence in India since time immemorial. However, their number has increased manifold in the recent years. Street vendors provide valuable services to the urban population while trying to earn a livelihood and it is the duty of the State to protect the right of this segment of population to earn their livelihood. The Government of India has prepared and circulated a modal draft for protection of livelihood of urban street vendors and to regulate street vending as a part of National Policy for Urban Street Vendors. The State Government has considered the aforesaid modal draft and is of the view that it is essential to enact such a law for the welfare of urban street vendors and to give legal status to the profession of street vending.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शान्ति धारीवाल,  
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम  
राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प.02 (37)विधि/2/2011 जयपुर, दिनांक 18  
अगस्त, 2011 प्रेषक: शान्ति धारीवाल, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: सचिव,  
राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

मैं, शिवराज वि. पाटील, राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 की विषय-वस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन सिफारिश करता हूँ कि उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिया जाये।

**FINANCIAL MEMORANDUM**

The Rajasthan Urban Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2011 clause 7 provides that the State Government shall provide the Town Vending Committee with appropriate office space and such other employees as may be prescribed.

The estimates about such expenses have not be calculated. The expenditure on this account will be calculated and submitted during the preparation of budget estimates.

शान्ति धारीवाल,  
**Minister Incharge.**

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED  
LEGISLATION**

Sub-clause (1) of clause 3 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to frame scheme with respect to the matters enumerated in that sub-clause, clause 23 of the Bill, if enacted, shall empower the Municipalities to make bye-laws with respect to the matter enumerated in that clause and clause 24 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to the matters enumerated in sub-clause (2) of that clause and generally to carry out the provisions of this Act.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

शान्ति धारीवाल,  
**Minister Incharge.**

2011 का विधेयक सं. 27

राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

**राजस्थान विधान सभा**

---

नगरीय पथ विक्रेताओं की जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय तथा इससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

---

सीताराम सोनवाल,  
उप सचिव।

(श्री शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री)



**THE RAJASTHAN URBAN STREET VENDORS  
(PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF  
STREET VENDING)  
BILL, 2011**

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

---

*A*

*Bill*

*to provide for protection of livelihood of urban street vendors  
and to regulate street vending and for matters connected  
therewith or incidental thereto.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

SITARAM SONWAL,  
**Deputy Secretary.**

(SHANTI DHARIWAL, **Minister-Incharge**)